(a) whether feasibility studies have been completed in respect of Super National Highway 5 and Super National Highway 6 pertaining to Agra-Nagpur, Nagpur-Hyderabad, Mumbai-Nagpur and Nagpur-Rourkela sections;

(b) if so, the details thereof;

(c) the approximate cost for developing these sections of the Super National Highways; and

(d) the time by which work on these Super National Highways is expected to start?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKATRAMAN): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

अमरीका का आप्रवास कानून

355. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अमरीका के प्रस्तावित आप्रवास कानून के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है; और

(घ) प्रतिवर्ष कितने भारतीय उक्त कानून के अन्तर्गत अमरीका जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अमरीकी कांग्रेस में प्रस्तावित उत्प्रवासन संबंधी विधान का भारतीय व्यवसायियों तथा अन्य हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सरकार सजग है। इस विषय पर सीनेट तथा आउस ऑफ रिप्रजेन्टेटिव्स द्वारा अलग-अलग विधेयक पारित किये गये हैं। अब इन दोनों विधेयकों को मिलाकर एक करना है जिसके लिए रिप्रजेन्टेटिव्स की एक संयुक्त बैठक शीघ्र होने वाली है हालांकि इनकी तारीखें अभी निर्धारित नहीं हुई हैं।

(घ) इस समय विभिन्न देशों से अमरीका को कानूनी रूप से उत्प्रवासन करने वालों की वार्षिक दर 7,75,000 है। उपरोक्त विधेयक से प्रभावित होने वाले भारतीय आवेदकों की संख्या से संबंधित आंकड़े अमरीका की सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया जाना

356. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अक्तूबर, 1995 तक पुनर्वासित किये गये भूतपूर्व सैनिकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार पुनर्वास महानिदेशालय के पास भूतपूर्व सैनिकों के कितने आवेदन पत्र लम्बित थे;

(ग) क्या पुनर्वास महानिदेशालय के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण भूतपूर्व सैनिक अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं और लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में हस्तक्षेप करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) इन आवेदनों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) विवरण संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ख) पहली अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार पुनर्वास महानिदेशालय (पुनर्वास) में किसी भूतपूर्व सैनिक का आवेदन-पत्र लंबित नहीं था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।